



आरबीटिटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148,
(जिला कलेक्टर) टोंक

- 1006 -

अभिभाषक अग्रणी संख्या 2 ने जवाब प्रदाना पत्र से अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु मासि ख0न0 104 कि०मी० सी.सी.आरबीटी से स्थित मकान/सूखण्ड वाक नाम नजीरपुरा से अवापन की गई है। अवापन मासि पर निर्माण आदि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे एंजिनी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार संबंधित हितधिकारी को विधि के

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थना की गई एवं अवापन प्रदाना की गई। अवापन प्रदाना की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण से उभयपक्ष की बहस स्थानी गई।

मुआवजा दिवाराया जाव।
को निरस्त कर मकान/सूखण्ड का बाजार मूल्य की दर से 10,00,000 रूपये का अधिकारी है। अतः सरकार मासि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अवापन दिनांक 27.09.2021 का बाजार मूल्य की दर से 10,00,000 रूपये का मुआवजा स्वीक्षा प्राप्त करने का से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थना अपनी मासि पर स्थित मकान/सूखण्ड स्थित मकान/सूखण्ड का मुआवजा विपक्षीय द्वारा मागत निर्धारण कर दीएगयी दर निर्माण से नाम नजीरपुरा तहसील उन्धारा की मासि ख0न0 104 कि०मी० सी.सी.आरबीटी से प्रदाना पत्र का संराधा इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के

दिनांक 06.05.2026 **निर्णय**

- (1) श्री दालतराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थना
- (2) श्री खमनन्द शर्मा, अभिभाषक अग्रणी संख्या-2

प्रदाना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956
अप्रार्थना

नेशनल हाइवे नं० 148 एन सवाड़े माधीपुर।
2-परिचयोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परिचयोजना डेकाई,
उन्धारा जिला टोंक राज0
1-सक्षम प्राधिकारी मासि अवापन, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 148 एन (उपखण्ड अधिकारी)

बनाम
राज0
श्रीमति कर्पूरी पत्नी बंदी जाति बैरवा निवासी नजीरपुरा तहसील उन्धारा जिला टोंक
प्रकरण संख्या
प्रतिष्ठ दिनांक
10/2022
07.02.2022

(टीना डाबी, आइ0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)
न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीटिटर) टोंक

